भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
संचार भवन, 20, अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001.

सं0 10-30/2007-बी एस.I

दिनांक 05.07.2007

सेवा में,

सभी आई एल डी लाइसेंस धारक ।

विषय: आई एल डी लाइसेंस में संशोधन ।

आई एल डी लाइसेंस करार के खंड 12.1 जो अन्य बातों के साथ-साथ जन हित में, या राष्ट्र की सुरक्षा के हित में अथवा सेवा के सुचारू संचालन के लिए लाइसेंस के नियमों और शर्तों के किसी भी समय आशोधन करने का अधिकार सुरक्षित करता है, के अनुसरण में लाइसेंस प्रदाता आई एल डी लाइसेंस के निम्नलिखित नियमों और शर्तों को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से संशोधित करता है :

क. अंतरराष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा लाइसेंस (एतद्पश्चात आई एल डी लाइसेंस के रूप में संदर्भित किया गया) की अनुसूची के खंड 1.1 से 1.8 को निम्नलिखित खंडों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: ;

" 1.1 - लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंसधारी कंपनी की प्रदत्त पूंजी में कुल विदेशी इक्विटी लाइसेंस की संपूर्ण अवधि के दौरान किसी भी समय कुल इक्विटी के 74% से अधिक न हो और जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नम्नलिखित मानदंडों के अध्यधीन होगा :

(i) लाइसेंसधारक कंपनी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के विदेशी निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा में रखा जाएगा । विदेशी निवेश में विदेशी संस्थागत निवेशकों, अनिवासी भारतीयों, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉंडों, अमेरिकी डिपोजिटरी रिसिप्ट, गलोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट और परिवर्तनीय अधिमानी शेयर शामिल हैं । अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अर्थ लाइसेंसधारी कंपनी के शेयरों को धारित करने वाली कंपनी/कंपनियों तथा उनकी नियंत्रक कंपनी/कंपनियों या कानूनी निकाय (जैसे कि म्युचुअल फंड, ट्रस्ट) में समानुपातिक आधार पर विदेशी निवेश होगा । भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा लाइसेंसधारी कंपनियों के धारित शेयरों को " भारतीय होल्डिंग" के रूप में समझा जाएगा । किसी भी स्थिति में भारतीय शेयर धारण 26 प्रतिशत से कम नहीं होगा ।

(ii) 49 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमैटिक रूट पर जारी रहेगा । लाइसेंसधारी कंपनी/भारतीय प्रोमोटरों/निवेशी कंपनियों और उनकी नियंत्रक कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक होगा यदि वह निवेश 74 प्रतिशत की समग्र अधिकतम सीमा के अंतर्गत हो। निवेश प्रस्ताव अनुमोदित करते समय विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यह ध्यान रखेगा कि निवेश किसी अप्रीतिकर देश और/ अथवा शत्रु संस्थाओं द्वारा नहीं किया जा रहा है ।

(iii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत के कानूनों के अध्यधीन होगा न कि किसी अन्य देश/देशों के कानूनों के अध्यधीन ।

1.2 - जैसा कि लाइसेंसधारक कंपनी द्वारा उल्लेख किया गया है, लाइसेंसधारक कंपनी में लाइसेंस करार हस्ताक्षर करने की तारीख को भारतीय तथा विदेशी इक्विटी की धारिताएं निम्नवत् हैं :

(कुल भारतीय इक्विटी :-
कुल विदेशी इक्विटी :-
(प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहित)

लाइसेंसधारक को लाइसेंसधारक कंपनी में भारतीय और विदेशी इक्विटी धारिता (प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों) की घोषणा करनी होगी तथा लासेंस प्रदाता के समक्ष एफडी आई मानदंडों और सुरक्षा संबंधी शर्तों की बिना शर्त अनुपालन रिपोर्ट छमाही आधार पर 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रस्तुत करनी होगी। अनुपालन संबंधी रिपोर्ट लाइसेंसधारक कंपनी के कंपनी सचिव अथवा सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए ।

ख. आई एल डी लाइसेंस की अनुसूची के खंड 1.9, 1.10 तथा 1.11 को क्रमश: 1.3, 1.4 तथा 1.5 के रूप में पुन: क्रमांकित किया जाएगा ।

ग. आई एल डी लाइसेंस की अनुसूची के खंड 23.26 (Vii) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाए :

23.27-(i) तकनीकी नेटवर्क प्रचालनों के प्रभारी मुख्य अधिकारी और मुख्य सुरक्षा अधिकारी निवासी भारतीय नागरिक होने चाहिए ।

(ii) अवसंरचना/नेटवर्क डायग्राम का ब्यौरा (नेटवर्क का तकनीकी ब्यौरा) केवल दूरसंचार उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं तथा लाइसेंसधारक कंपनी की संबद्ध मूल कंपनी को आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध कराया जा सकता है । यदि इस प्रकार की जानकारी किसी और को उपलब्ध करायी जानी हो तो लाइसेंसदाता (दूरसंचार विभाग, भारत सरकार) से अनुमति लेनी अपेक्षित होगी ।

(iii) सुरक्षा कारणों से लाइसेंसदाता द्वारा यथा अभिज्ञात/विनिर्दिष्ट ऐसे निकायों के घरेलू परियात का भारत के बाहर किसी स्थान को संवहन/रूट नहीं किया जाएगा । इस परियोजनार्थ घरेलू परियात के लिए भारत की जरूरतों को पूरा करने के वाले उपग्रहों की उपस्थिति को भारत के बाहर नहीं समझा जाएगा ।

(iv) लाइसेंसधारक कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समय पर आवश्यक उपाय करेगी कि उपभोक्ताओं द्वारा नेटवर्क के माध्यम से सम्पादित सूचना संरक्षित और सुरक्षित हो ।

(v) संदेशों का कानून अवरोधन कार्य करने वाली लाइसेंसधारक कंपनियों के अधिकारी/कर्मचारी निवासी भारतीय नागरिक होंगे ।

(vi) कंपनी के निदेशक मण्डल के अधिसंख्य निदेशक भारतीय नागरिक होंगे ।

(vii) यदि अध्यक्ष, निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और/अथवा मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के पद विदेशी नागरिकों द्वारा धारित हों तो उनकी सुरक्षा जांच गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा अपेक्षित होगी । सुरक्षा जांच आवधिक रूप से वार्षिक आधार पर अपेक्षित होगी । यदि सुरक्षा जांच के दौरान कुछ प्रतिकूल पाया जाता है तो गृह मंत्रालय का निर्देश लाइसेंसधारक कंपनियों पर बाध्यकारी होगा ।

(viii) कंपनी निम्नलिखित को भारत के बाहर किसी व्यक्ति/ स्थान को अंतरित नहीं करेगी :
(क) उपभोक्ता से संबंधित कोई लेखा संबंधी सूचना (अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग/बिलिंग को छोड़कर) (टिप्पणी : यह प्रतिबंध सांविधिक रूप से वित्तीय स्वरूप के अपेक्षित प्रकटन पर लागू नहीं होता); और
(ख) प्रयोक्ता संबंधी सूचना (रोमिंग के समय भारतीय प्रचालक के नेटवर्क का प्रयोग करने वाले विदेशी उपभोक्ताओं से संबंधित सूचना को छोड़ कर)

(ix) कंपनी के अपने उपभोक्ताओं को ढूंढ़ पाने योग्य पहचान अवश्य देनी चाहिए । तथापि, विदेशी कंपनियों के रोमिंग उपभोक्ता को सेवा प्रदान करने की स्थिति में भारतीय कंपनी अपने रोमिंग करार के एक भाग के रूप में विदेशी कंपनी से रोमिंग उपभोक्ता की ढूंढ पाने योग्य पहचान प्राप्त करने का प्रयास करेगी ।

(x) लाइसेंसदाता अथवा लाइसेंसदाता द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी के अनुरोध पर दूरसंचार सेवा प्रदाता किसी उपभोक्ता की भौगोलिक स्थान-अवस्थिति (बीटीएस अवस्थिति) निश्चित समय में प्रदान करने का प्रयास करेगा।

(xi) नेटवर्क के दूरस्थ अभिगम (आर ए) केवल अनुमोदित विदेशी स्थानों को भारत में अनुमोदित स्थानों के माध्यम से प्रदान करना होगा । स्थानों के संबंध में अनुमोदन सुरक्षा एजेंसी (आसूचना ब्यूरो) के परामर्श से लाइसेंसदाता (दूरसंचार विभाग) द्वारा प्रदान किया जाएगा ।

(xii) किसी भी परिस्थिति में, विधिसम्मत अवरोधन प्रणाली (एलआईएस), विधिसम्मत अवरोधन मानिटरिंग (एलआईएम), परियात की कॉल संबंधी विषय-वस्तु तथा ऐसे किसी संवेदनशील क्षेत्र/डाटा जिसे समय-समय पर लाइसेंसदाता ने अधिसूचित किया हो, पर आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं तथा सहयोगियों) को किसी भी दूरस्थ अभिगम के अभिगम में समर्थ नहीं होना चाहिए ।

(xiii) लाइसेंस धारक कंपनी को विषय-वस्तु की निगरानी के लिए दूरस्थ अभिगम सुविधा का उपयोग करने की अनुमति नहीं है ।

(xiv) नामित सुरक्षा एजेंसी/लाइसेंसदाता के भारतीय परिसर पर उपयुक्त तकनीकी तंत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसमें दूरस्थ अभिगम सूचना की एक वास्तविक छाया प्रति निगरानी के प्रयोजनार्थ ऑन लाईन उपलब्ध हो ।

(xv) भारत में प्रचालित नेटवर्क संबंधी दूरस्थ अभिगम कार्यकलापों के पूर्ण लेखा-रिकार्ड का छह महीने की अवधि के लिए रख-रखाव किया जाना चाहिए तथा इसकी प्रति लाइसेंसदाता या लाइसेंसदाता द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी के अनुरोध पर दी जाए ।

(xvi) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केन्द्रीयकृत स्थल से विधिसम्मत अवरोधन तथा मानिटरिंग करने के लिए उनके उपस्कर में आवश्यक व्यवस्था (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर) उपलब्ध हो ।

(xvii) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अपनी प्रणालियों के संबंधित प्रचालनों/विशेषताओं के बारे में सतर्कता तकनीकी मॉनीटरिंग (वीटीएम)/सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों/कर्मचारियों को परिचित कराना/प्रशिक्षण देना चाहिए ।

(xviii) राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी संवेदनशील क्षेत्र में प्रचालन करने से लाइसेंसधारक कंपनी पर रोक लगाना लाइसेंसदाता पर निर्भर करेगा ।

(xix) वॉइस एवं डाटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, मॉनिटरिंग करने हेतु केवल संघ सरकार के गृह सचिव अथवा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के गृह सचिवों द्वारा ही प्राधिकार प्रदान किया जाएगा ।

(xx) परियात की मॉनिटरिंग करने के लिए, लाइसेंसधारक कंपनी सुरक्षा एजेंसियों को अपने नेटवर्क तथा अन्य सुविधाओं के साथ-साथ बही खातों को भी उपलब्ध कराएगी ।

2. आईएलडी लाइसेंस करार की अनुसूची के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

3. आईएलडी लाइसेंसधारक द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और सुरक्षा शर्तों के संबंध में आईएलडी लाइसेंस करार के संशोधित खंड क्रमश: 1.1 और 23 पर बिना शर्त अनुपालन रिपोर्ट अधिकतम वर्ष 2007 के जुलाई माह के 18वें दिन तक प्रस्तुत करनी होगी । तत्पश्चात आईएलडी लाइसेंस के खंड 1.2 के अनुसार आवधिक रूप से प्रस्तुत करनी होगी ।

4. इस पत्र की पावती रसिद भेजी जाए ।

(एस.टी. अब्बास)
निदेशक (सीएस-III)

प्रति:

1. वरिष्ठ उप महानिदेशक (सतर्कता)/ वरिष्ठ उपमहानिदेशक (टीईसी)/वरिष्ठ उप महानिदेशक (एल एफ) ।
2. उप महानिदेशक (ए एस)/ उप महानिदेशक (डीएस)/उपमहानिदेशक (सुरक्षा), संयुक्त सचिव (टी)।
3. सचिव, टी आर ए आई

(एम. एस. शम्सी)
अनुभाग अधिकारी (सीएस.III)